INVEST UP

POWERING NEW INDIA

Address :

4th Floor Block A PICUP Bhawan,
Lucknow, Uttar Pradesh 226010
Phone No.: +91-522-2720236, 2720238
Email: info[at]investup[dot]org[dot]in
Website - https://invest.up.gov.in/

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

UP GLOBAL INVESTORS SUMMIT

10-12 FEBRUARY, 2023

New India's Growth Engine

यूपी डेटा सेंटर नीति 2021 (संशोधन 2022)

प्रमुख बिन्दु

नीति का उद्देश्य राज्य में डेटा सेंटर उद्योग के विकास के लिए एक अनुकूल नीतिगत वातावरण का निर्माण करना है। डेटा सेंटर उद्योग में निवेश के लिए उत्तर प्रदेश को एक आशाजनक गंतव्य बनाए रखने के लिए स्थिति का लाभ, सुदृढ़ आईटी पारिस्थितिकी तंत्र तथा आसानी से रोजगार योग्य गुणवत्ता प्रतिभा कुछ प्रमुख तत्व हैं।

नीति के अंतर्गत उपलब्ध प्रमुख वित्तीय प्रोत्साहन :

शीर्ष	विवरण	प्रयोज्यता
पूंजीगत उपादान	भूमि तथा भवन को छोड़कर ₹20 करोड़ के स्थिर पूंजी निवेश पर (एफसीआई) 7% पूंजीगत सब्सिडी (डीसी यूनिट के लिए)	डी.सी. इकाई
ब्याज उपादान	7 वर्षों के लिए वार्षिक ब्याज का 60% तक प्रति पार्क ₹10 करोड़ प्रति वर्ष के अधीन, जिसमें ₹50 करोड़ प्रति पार्क की समग्र सीमा है।	डीसी पार्क
भूमि उपादान	₹75 करोड़ रुपये तक की कुल परियोजना लागत का 7.5% एवं मध्यांचल तथा पश्चिमांचल में राज्य एजेंसियों से भूमि की खरीद पर प्रचलित क्षेत्र दरों पर 25% सब्सिडी; बुंदेलखंड तथा पूर्वांचल क्षेत्रों के लिए 50%	डीसी पार्क/ डीसी इकाई
स्टाम्प शुल्क	पहले लेनदेन (प्राधिकरण/भूस्वामी से डीसी पार्क/यूनिट) पर 100% छूट, दूसरे पर 50% छूट	डी.सी. पार्क/ डीसी इकाई
विधुत शुल्क	वाणिज्यिक उत्पादन शुरु होने के बाद 10 साल के लिए 100% छूट	डी.सी. इकाई
ड्यूल ग्रिड विधुत आपूर्ति	इस नीति की अधिसूचना से राज्य में स्थापित पहले 8 डीसी पार्कों को दोहरी पावर ग्रिड नेटवर्क प्रदान किया जाएगा, जिसमें दोनों में से कम की लागत वाली ग्रिड के सापेक्ष व्यय धनराशी की प्रतिपूर्ति आईटी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग तथा अन्य ग्रिड की लागत डीसी पार्क द्वारा वहन की जाएगी।	डी.सी. पार्क
ट्रांसमिशन तथा व्हीलिंग चार्ज	• 25 वर्षों के लिए विद्युत की इंट्रास्टेट बिक्री पर 50% • 25 वर्षों के लिए बिजली की अंतरराज्यीय बिक्री पर 100% • 5 वर्षों के लिए राज्य के बाहर से ऊर्जा के आयात के लिए इंट्रास्टेट सिस्टम पर 100%	डी.सी. पार्क/ डीसी इकाई
एज डेटा सेंटर के लिए प्रोत्साहन	डीसी इकाइयों के लिए उपलब्ध एज डेटा सेंटर प्रोत्साहन को एज डेटा सेंटर तक बढ़ाया जाएगा, बशर्ते कि एकल प्रस्ताव एज (Edge) डेटा केंद्रों में न्यूनतम 25 (Edge) डेटा केंद्र प्रस्तावित हों।	(Edge) डेटा सेंटर

क्र. सं.	शीर्ष
1.	उप-पट्टे डीसी पार्कों को बिना किसी सबलीज या ट्रांसफर चार्ज के भूमि/भवनों को डीसी इकाइयों/एसपीवी को उप-पट्टे पर देने की अनुमति दी जाएगी।
2.	तल क्षेत्र अनुपात 3.0 + 1.0 (क्रय-योग्य) एफएआरके लिए अनुमति। अधिभोग तथा व्यावसायीकरण के लिए आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
3.	छत पर चिलर की स्थापना संरचनात्मक सुरक्षा तथा एएआई से मंजूरी के अधीन एफएआर में कोई समावेश नहीं।
4.	पार्किंग में छूट कुल निर्मित क्षेत्र का 5% खुले क्षेत्र में पार्किंग प्रदान किए जाने के अधीन है।
5.	चारदीवारी 3.6 मीटर ऊंचाई की चारदीवारी तथा 'वाई' बाड़ के लिए 600 मिमी ऊंचाई तक निर्माण की अनुमति।
6.	इमारत में शुरुआत भवन में न्यूनतम संख्या में खिड़कियां स्थापित करने की अनुमति।
7.	ग्राउंड कवरेज 60% तक ग्राउंड कवरेज की अनुमति होगी।
8.	क्रॉस सब्सिडी अधिभार (सीएसएस) दृश्यता 5 वर्षों में उत्तरोत्तर इसे अपने शुरुआती स्तर के अधिकतम 20% तक लाया जाना चाहिए।
9.	नॉन डिस्टर्बेंस प्रविधान प्राधिकरण के मानदंडों/उपनियमों के किसी भी उल्लंघन के मामले में ही बोर्ड की मंजूरी के साथ लीज डीड रद्द करना।

नोडल एजेंसी: उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीईएलसी)